

प.क्षे.-II/ लोक सूचना/2022/089/

दिनांक : 15/10/2022

सेवा में,
श्री कमलेशभाई के. बारोट
ग्राम - रूनी, तालुका - कांकरेज,
जिला - बनासकांठा - 385555

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के संबंध में ।

महोदय,
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपके द्वारा प्रेषित पत्र सं.- PGCIL/WRTS-II/2022/089, पावरग्रिड कार्यालय में CPIO और डिप्टी कलेक्टर, डीसा से दिनांक 19/09/2022 को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, CPIO के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपीलिय अधिकारी के सम्मुख अपील कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलिय अधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है।

श्री कृष्ण कुमार टी. आर. (कार्यपालक निदेशक), अपीलिय अधिकारी,
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
क्षेत्रीय मुख्यालय, पश्चिम क्षेत्र-2
प्लॉट नं.-54, रिया-रेवती रिसोर्ट के पास, समा-सावली रोड,
वडोदरा – 390 024 (गुजरात).

धन्यवाद सहित,

21/10/22
(आर. के. गुप्ता)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
पश्चिम क्षेत्र – II, वडोदरा

संलग्न : यथोपारि

प्रतिलिपि: -

1. कार्यपालक निदेशक (प.क्षे.-II), वडोदरा – सादर सूचनार्थ
2. वरिष्ठ महाप्रबंधक (सतर्कता), प.क्षे.- II
3. मुख्य प्रबन्धक (LAW), प.क्षे.- II

This has reference to the RTI no. PGCIL/WRTS-II/2022/089 received on dated 19/09/2022 from Shri Kamleshbhai K. Barot regarding Compensation paid to the farmers of village-Runi, Taluka-Kankrej, Dist.-Banaskantha during construction of 765kV Bhuj – Banaskantha T/L – pointwise concise reply is as follows;

आरटीआई अर्जी	आरटीआई का उत्तर
<p>1. મોજે.રૂણી તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા ખાતે પાવરગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા ૭૬૫ કે.વી.ડી.સી. ભૂજ-બનાસકાંઠા પ્રવાહન લાઇનમાં ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગના નિયમો તેમજ પાવરગ્રીડ કોર્પોરેશનના નિયમોને આધીન પાક નુકસાની વળતર તથા વૃક્ષ કપાત માટે ખેડૂતના નામ, ખેડૂત ખાતા નંબર સાથે વૃક્ષની નુકસાની પેટે વૃક્ષ દીઠ, વૃક્ષના પ્રકાર, વૃક્ષની સંખ્યા સાથે કેટલું વળતર ચુકવવામાં આવેલ છે તેની વિગત તેમજ સદરહુ વળતર અંગેના નિયમો તથા આ અંગે આપની કચેરી દ્વારા પાવરગ્રીડ કોર્પોરેશન સાથે થયેલ પત્રવ્યવહાર ની નકલ.</p> <p>ग्राम-रूनी, तालुका-कांकरेज, जिला-बनासकांठा में पावरग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा 765kV D/C भुज-बनासकांठा पारेषण लाइन में गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के नियम एवं पावरग्रिड कॉर्पोरेशन के नियमानुसार फसल क्षति और पेड़ काटने के मुआवजे के संबंध में किसानों के नाम, किसानों के खाता संख्या के साथ प्रति पेड़ के तहत मुआवजा, पेड़ का प्रकार, पेड़ों की संख्या के साथ भुगतान कि गयी राशि का विवरण और मुआवजे से संबंधित नियम और इस संबंध में पावरग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ आपके कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए पत्राचार की प्रति।</p>	<p>અરજદાર દ્વારા રૂણી ગામમાં વળતર આપવામાં આવેલ તમામ ખેડૂતોના નામો, ખેડૂતો ના ખાતા નંબર તથા પાવરગ્રીડ દ્વારા વળતરની રકમની ગણતરી અંગે સંબંધિત મહેસુલ વિભાગ સાથે કરવામાં આવેલ પત્રવ્યવહાર સંદર્ભે માંગવામાં આવેલ માહિતી તૃતીય પક્ષોને લગતી માહિતી છે અને વધુમાં, તે તૃતીય પક્ષોની અંગત માહિતી પણ છે, જેનો ખુલાસો કોઈપણ જાહેર પ્રવૃત્તિ સાથે સીધો સંબંધિત નથી. તેથી, RTI કાયદાની કલમ 8(1) (j) હેઠળ માંગવામાં આવેલી માહિતી જાહેર કરી શકાતી નથી.</p> <p>પાવરગ્રીડ દ્વારા વળતરના કિંમત ની આકરણી ભારતીય તાર અધિનિયમ ૧૮૮૫ નાં સેક્સન ૧૦ અને ૧૬ અને ભારતીય વીજળી અધિનિયમ ૨૦૦૩ નાં સેક્સન ૬૪ અને ૬૮ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. વળતર ની રકમ ગુજરાત સરકારનાં સંબંધિત મહેસુલ વિભાગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.</p> <p>आवेदक द्वारा रूनी गाँव में मुआवजा दिए गए सभी किसानों के नाम, खाता नंबर तथा पावर ग्रिड द्वारा मुआवजा राशि के आकलन के सन्दर्भ में सम्बंधित राजस्व विभाग के साथ किये गए पत्राचार के संबंध में मांगी गयी जानकारी तीसरे पक्षों से संबन्धित व्यक्तिगत जानकारी है जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि से कोई सीधा संबंध नहीं है। अतः आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (j) के तहत मांगी गयी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है।</p> <p>पावरग्रिड द्वारा मुआवजे की राशि का आकलन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, की धारा 10 और 16 और भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 और 68 के अनुसार किया जाता है। मुआवजे की राशि गुजरात सरकार के संबंधित राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।</p>



2. भोज.रूपी ता.कांकरेजना रेवन्यु रेकर्डना नमुना ८-अ मां दर्शित पातानं-१०८ परत्वे १ ज्ञान्युआरी २०१२ थी आजडीन सुधी पाक निष्कण, वीज वाधन माटे थांभवा, वीज वाधन पसार थवा ब्याभते तथा वृक्ष कपात पेटे क्थां धारा धोरणो तथा नियमोने आधीन पाक निष्कण, वीज वाधन थांभवा, वीज वाधन पसार थवा ब्याभते तथा वृक्ष दीठ केटवु वणतर युक्वामां आवेव छे. ते अंगेना तमाम दस्तावेजो पुरावानी नकव.

ग्राम-रूनी, तालुका-कांकरेज के राजस्व रिकॉर्ड के नमूना 8-ए में दर्शाए गए खाता संख्या-108 के अनुसार 1 जनवरी 2012 से आज तक फसल खराब होना, बिजली लाइनों के लिए पोल, बिजली की लाइनों का गुजरना और पेड़ की कटाई से होने वाली क्षति हेतु किन मानदंडों और नियमों के तहत फसल खराब होना, बिजली लाइन के पोल, बिजली की लाइनों का गुजरना और प्रति पेड़ कितना मुआवजा दिया गया है। इस आशय के सभी दस्तावेजी साक्ष्य की एक प्रति।

पावरग्रीड द्वारा वणतरना किमत नी आकरणी भारतीय तार अधिनियम १८८५ नां सेक्सन १० अने १६ अने भारतीय वीजणी अधिनियम २००३ नां सेक्सन ६४ अने ६८ प्रमाणे करवामां आवे छे. वणतर नी रकम गुजरात सरकारनां संबधित महेसुव विभाग द्वारा नक्की करवामां आवे छे.

रेवन्यु रेकर्डना नमुना ८-अ मां दर्शित पातानं-१०८, सर्वे नं०५२-६७ मां पावर ग्रीड कोर्पोरेशन द्वारा ७६५ डे.वी. D/C भूज-बनासकांठा प्रवाहन वाधन ना निर्माण धरमियान कोरिडोर जतनां पाक तेमज वृक्षनुं नुकसान थयेव नथी. अरजदारना प्तेरमां ट्रांसमिशन वाधन कोरिडोरने कारणे जमीननी घटती किमत अंगेनी विगतवार माहिती ब्यांधकाम धरमियान तेने एश्यु सीसीटीसी नोटिस नं. 805 मां पढेवेथी ज उल्लेखित छे अने अरजदार द्वारा पण स्वीकारवामां आव्युं छतुं. जमीनना अवमुल्यननुं वणतर रूपिया ६२८४८/- कमवेशभाधे प्तेताजो बारोट ने सर्वे नं०५२-६७, गाम-रूनी, तालुका-कांकरेज, जिल्हा बनासकांठा ने युक्वामां आवेव छे.

पावरग्रिड द्वारा मुआवजे की राशि का आकलन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, की धारा 10 और 16 और भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 और 68 के अनुसार किया जाता है। मुआवजे की राशि गुजरात सरकार के संबंधित राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।

राजस्व रिकॉर्ड के नमूना 8-ए में दिखाए गए खाता संख्या -108 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा 765kV D/C भुज - बनासकांठा पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान कोई फसल या पेड़ क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। आवेदक के खेत में ट्रांसमिशन लाइन कोरिडोर के कारण भूमि के घटते मूल्य के संबंध में विस्तृत जानकारी निर्माण कार्य के दौरान जारी सीसीटीसी नोटिस संख्या 805 में पहले से उल्लिखित है और आवेदक द्वारा स्वीकार भी किया गया था। कमलेशभाई खेताजी बारोट, सर्वेक्षण संख्या-97, ग्राम-रूनी, तालुका- कांकरेज, जिला-बनासकांठा को भूमि मूल्यहास मुआवजा 92848/- रुपये का भुगतान किया गया।

3. सामान्य संजोगोमां वृक्ष कपातनुं वणतर क्थां धारा धोरणो तथा नियमोने आधीन नक्की करवामां आवे छे ते अंगेनुं स्पष्ट विवरण दर्शावता रेकर्डनी नकव.

सामान्य परिस्थितियों में किन मानदंडों और नियमों के तहत पेड़ों की कटाई के लिए मुआवजे का आकलन किया जाता है, इस बारे में स्पष्ट विवरण दिखाने वाले रिकॉर्ड की एक प्रति।



पावरग्रीड द्वारा वणतरना किमत नी आकरणी भारतीय तार अधिनियम १८८५ नां सेक्सन १० अने १६ अने भारतीय वीजणी अधिनियम २००३ नां सेक्सन ६४ अने ६८ प्रमाणे करवामां आवे छे. वणतर नी रकम गुजरात सरकारनां संबधित महेसुव विभाग द्वारा नक्की करवामां आवे छे.

पावरग्रिड द्वारा मुआवजे की राशि का आकलन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, की धारा 10 और 16 और भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64 और 68 के अनुसार किया जाता है। मुआवजे की राशि गुजरात सरकार के संबंधित राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।

<p>4. १ जनवरी 2018 थी आज तक आपके कार्यालय में पेड़ों की कटाई/विनाश के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या दर्शाने वाले रजिस्टर की प्रमाणित प्रति।</p>	<p>अरजदार द्वारा मांगवामां आवेदी माहिती पावर ग्रीड कोर्पोरेशन साथे संबंधित नथी.</p> <p>आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से संबंधित नहीं है।</p>
<p>5. १ जनवरी 2018 से आज तक पेड़ काटने के अन्याय के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्र और अदालती याचिकाओं के संबंध में पत्र की प्रति यदि कोई हो।</p>	<p>१-जनवरी 2018 थी आज तक 765kV D/C भुज - बनासकांठा ट्रांसमिशन लाइनना वणतर संबंधित कुल 52 केस नोंधायो छे.</p> <p>पिटिशनरोनी विगतो अरजदारने जाहेर करी शकाय तेम नथी कारण के ते व्यक्तिगत माहिती / तीसरे पक्षनी माहितीने लगती छे अने अरजदारे कोई सार्वजनिक हेतु दर्शाव्यो नथी, तेथी आ जाहेरातने RTI कायदानी क्लम 8(1) (j) हेठण मुक्ति आपवामां आवी छे.</p> <p>1 जनवरी 2018 से आज तक 765kV D/C भुज - बनासकांठा पारेषण लाइन के मुआवजे से संबंधित कुल 52 मामले दर्ज किए गए हैं।</p> <p>याचिकाकर्ताओं का विवरण आवेदक को नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह व्यक्तिगत जानकारी / तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है और आवेदक ने कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं बनाया है, इसलिए प्रकटीकरण को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (j) के तहत छूट दी गई है।</p>



6. મોજે.રૂણી તા.કાંકરેજ જી.બનાસકાંઠા ખાતે પાવરગ્રીડ કોર્પોરેશન દ્વારા ૭૬૫ કે.વી.ડી.સી. ભૂજ-બનાસકાંઠા પ્રવાહન લાઇનમાં ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગના નિયમો તેમજ પાવરગ્રીડ કોર્પોરેશનના નિયમોને આધીન ચૂકવવામાં આવેલ વળતર બાબતે ખેડૂતના નામ, ખેડૂત ખાતા નંબર, વીજ લાઇન થાંભલાની સંખ્યા, વીજ લાઇન થાંભલા દીઠ કેટલુ વળતર ચુકવવામાં આવેલ છે તેની વિગત તેમજ સદરકુ વળતર અંગેના નિયમોની વિગત.

ग्रामरूनी-, तालुकाकांकरेज-, जिला बनासकांठा-में पावरग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा 765kV D/C भुज-बनासकांठा पारेषण लाइन में गुजरात सरकार के राजस्व विभाग के नियम एवं पावरग्रिड कॉर्पोरेशन के नियमानुसार मुआवजे के भुगतान के संबंध में किसानों के नाम, किसानों के खाता संख्या, बिजली लाइन के खंभों की संख्या, प्रति बिजली खंभे पर कितना मुआवजा दिया गया है और मुआवजा नियमों का विवरण।

ખેડૂતના નામ, ખેડૂત ખાતા નંબર અને વીજ લાઇન થાંભલા દીઠ કેટલુ વળતર ચુકવવામાં આવેલ છે તેની વિગતો અરજદારને જાહેર કરી શકાય તેમ નથી કારણ કે તે વ્યક્તિગત માહિતી / તૃતીય પક્ષની માહિતીને લગતી છે અને અરજદારે કોઈ સાર્વજનિક હેતુ દર્શાવ્યો નથી, તેથી આ જાહેરાતને RTI કાયદાની કલમ **8(1) (j)** હેઠળ મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

પાવરગ્રીડ દ્વારા વળતરના કિંમત ની આકરણી ભારતીય તાર અધિનિયમ ૧૯૮૫ નાં સેક્સન ૧૦ અને ૧૬ અને ભારતીય વીજળી અધિનિયમ ૨૦૦૩ નાં સેક્સન ૬૪ અને ૬૮ પ્રમાણે કરવામાં આવે છે. વળતર ની રકમ ગુજરાત સરકારનાં સંબંધિત મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.

किसानों का नाम, किसानों का खाता क्रमांक और प्रति बिजली लाइन पोल पर कितना मुआवजा दिया गया है यह विवरण आवेदक को नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह व्यक्तिगत जानकारी / तीसरे पक्ष की जानकारी से संबंधित है और आवेदक ने कोई सार्वजनिक उद्देश्य नहीं बनाया है, इसलिए प्रकटीकरण को आरटीआई अधिनियम की धारा **8(1) (j)** के तहत छूट दी गई है।

પાવરગ્રિડ દ્વારા મુઆવજે કી રાશિ કા આકલન ભારતીય ટેલીગ્રાફ અધિનિયમ, કી ધારા 10 ઓર 16 ઓર ભારતીય વિદ્યુત અધિનિયમ, 2003 કી ધારા 64 ઓર 68 કે અનુસાર કિયા જાતા હૈ। મુઆવજે કી રાશિ ગુજરાત સરકાર કે સંબંધિત રાજસ્વ વિભાગ દ્વારા નિર્ધારિત કી જાતી હૈ।



(આર. કે. ગુપ્તા)
 કેન્દ્રીય લોક સૂચના અધિકારી
 પશ્ચિમ ક્ષેત્ર – II, વડોદરા

